न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी :– इन्द्र सिंह राव, आई.ए.एस.

अपील सं. 333/2016/डिक्री

रामप्यारी पिता किशना मीणा
निवासी राईखेडा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा

–अपीलान्ट

बनाम

1. घीसीबाई पत्नि लक्ष्मीचन्द पुत्री किशना मीणा
   निवासी मोहनपुरा कुण्डाल हाल मुकाम मालपुरा तहसील रावतभाटा
2. राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार, रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्टस

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा
दिनांक 22.06.2016 प्रकरण सं. 65/2013

उपस्थित – 1. श्री छोगालाल जाट – अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री सत्यनारायण ईनाणी – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट–1

निर्णय दिनांक– 20.04.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय मे वादिया/अपीलान्ट ने वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत रेस्पोडेन्टगण के विरूद्ध मौजा मालपुरा तहसील रावतभाटा की आराजी नम्बर 39, 40, 41, 45, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 108, 117, 118, 162, 163, 164 कुल किता 18 रकबा 11.94 है0 के सम्बन्ध मे वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित आराजीयात अपीलान्ट के पिता किशना जी का 1/2 हक व हिस्सा एवं लाडुजी का 1/2 हक व हिस्सा था। वर्तमान मे अपीलान्ट के पिता किशना के बजाय प्रतिवादी संख्या 1 का नाम दर्ज हो गया है, अपीलान्ट वादिया ने अपने वादपत्र मे अपने पूर्वजो का सजरा भी अंकित किया व यह भी निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 प्रतिवादिया ने राजस्व कर्मचारियो को गुमराह कर केवल अपना अकेले का नाम दर्ज करवा लिया है जबकि अपीलान्ट का किशना की जायदाद मे 1/2 हिस्सा है जिसे रेस्पोडेन्ट ने हडप कर लेने की नियत से अपीलान्ट का नाम हटवाकर अेकेले अपने नाम दर्ज करवा लिया है जिससे अपीलान्ट इन्द्राज दुरस्ती करवाकर स्वर्गीय किशना की विरासत मे अपना 1/2 हक व हिस्सा दर्ज करवाये जाने की अधिकारिणी है। उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया

जाकर रेस्पोडेन्टगण के सम्मन जारी किये गये। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट मय अधिवक्ता उपस्थित हुए एवं जवाबदावा प्रस्तुत किया, जो रिकार्ड पर लिवाया जाकर पत्रावली वास्ते तनकीयात कायम की गयी व इसी दरमियान रेस्पोडेन्ट प्रतिवादिया ने अपनी ओर से आदेश 8 नियम 6 जा0दी0 के तहत काउन्टर क्लेम भी प्रस्तुत किया गया। उक्त काउन्टर क्लेम को अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण संख्या 63/2014 अलग से दर्ज कर लिया व उक्त पत्रावली मे तनकीयात कायम की जानी थी इसी दरमियान उक्त प्रकरण को दिनांक 22/06/2016 को पटवार हल्का झरझनी मे लोक अदालत हेतु नियत किया गया व लोक अदालत मे अपीलान्ट सम्मन नोटिस की पालना मे उपस्थित हुई, जिसकी उपस्थिति के हस्ताक्षर करवाकर उक्त पत्रावली निर्णित करते हुए बिना किसी राजीनामे के अपीलान्ट वादिया की ओर से प्रस्तुत वादपत्र खारीज किये जाने का निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी, जो अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है। इससे असंतुष्ट होकर अपीलान्ट ने यह अपील पेश की है।

2. विवादित कृषि आराजीयात मे अपीलान्ट के पिता स्वर्गीय किशना का 1/2 हक व हिस्सा निहित रहा है, व स्वर्गीय किशना के अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 दोनो ही पुत्रियां होकर वैधारिक वारिस है जिससे अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का बराबर–बराबर हक व हिस्सा निहित है फिर भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने बिना किसी आधार के स्वर्गीय किशना की विरासत अकेले अपने नाम पर दर्ज करवा ली जिससे उक्त नामान्तकरण को शून्य करार दिये जाने व विवादित आराजीयात जो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम पर दर्ज रिकार्ड है, मे 1/2 हक व हिस्से की घोषणा व उसी अनुसार बंटवाडा चाहे जाने का वादपत्र प्रस्तुत किया गया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार के निरस्त किये जाने की डिक्री पारित कर दी जो अवैधानिक होकर निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलान्ट वादिया के हस्ताक्षर करवाकर उसको पुनः भेज दिया गया व अधीनस्थ न्यायालय ने अपने द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री की किसी प्रकार की कोई सूचना अपीलान्ट को नही दी गयी सर्वप्रथम अपील दिनांक 30/08/2016 को निर्णय की जानकारी हुई। उक्त प्रकरण दिनांक 22/06/2016 को लोक अदालत मे निर्णित किया जाकर खारीज किया जा चुका है उसी दिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिसकी नकल दिनांक 31/08/2016 को प्राप्त हुयी। फिर भी विलम्ब को क्षम्य किये जाने हेतु धारा 5 कानून मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश

किया। अतःनिवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22/06/2016 को निरस्त फरमाये जाने की डिक्री प्रदान करायी जावे।

3. दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने बयान किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण लोक अदालत मे निर्णित किया गया है जिसमे ना तो राजीनामा है तथा न ही विधिवत सुनवाई हुई है। प्रकरण मे तनकीयात कायम की जानी थी इससे पूर्व ही पत्रावली लोक अदालत मे निर्णित कर दी गई जो विधि सम्मत नही है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे।

4. दौराने बहस वकील रेस्पोडेन्ट ने बयान किया कि अपीलान्ट/वादिया लोक अदालत मे स्वंय उपस्थित थी जिन्हे सुनकर निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित मे किसी प्रकार की त्रुटि नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने के कारण खारीज की जावे।

5. बहस उभयपक्ष सुनी गई एवं मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया जिससे जाहिर है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारान की बिना सहमति के लोक अदालत मे निर्णित की गई है जबकि प्रकरण मे तनकीयात कायम की जानी थी जो विधि सम्मत नही है। फलतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा द्वारा प्रकरण संख्या 65/2013 मे पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22/06/2016 को अपास्त किया जाकर प्रकरण गुणावगुण के आधार पर तनकीयात कायम करते हुए पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(इन्द्र सिंह राव)
आई.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ